

पच्चा डिक्री
यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नं० -64 / 2025

- 1 करण कासनियो पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी-ढाणी चक 10 एस. वी. एन, सालीवाला तह० टिब्बी, जिला - हनुमानगढ़, (राज०)
- 2 अर्जुन कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी-ढाणी चक 10 एस.वी.एन, सालीवाला तह० - टिब्बी, जिला - हनुमानगढ़, (राज०)


बनाम्

-वादीगण

- 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी - ढाणी चक 10 एस.वी. एन, सालीवाला तह० - टिब्बी, जिला - हनुमानगढ़, (राज०)
- 2 तहसीलदार, (राजस्व), टिब्बी तहसील - टिब्बी, जिला- हनुमानगढ़ (राज०)

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री प्रदीप जाखड व प्रतिवादी वकील मनोज झोरड अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं०-8 एस०बी०एन० कि जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खाता सं०- 63/60 में 2.783 है० कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कर वादीगण के पिता प्रतिवादी सं.01 राजेन्द्र कुमार का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिए जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पच्चा डिक्री आज दिनांक 15/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर (राजस्व)
टिब्बी